(148)

कोर्ट फी 20रु. COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY
5रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग -816- 7-16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर

संतोष कुमार कोल पिता स्व. श्री मुंशीलाल कोल
उम्र 23 वर्ष निवासी 41, भरदा तहसील पनागर
जिला जबलपुर म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

1- श्री लक्ष्मणदास केशवानी पिता स्व. लालचंद केशवानी
उम्र 58 वर्ष निवासी सांई मंदिर के पास
जे.पी.नगर आधारताल जबलपुर म0प्र0

2- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ---- अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/अ-21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 01-2-16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत निगरानी ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचि एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेद द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया ग कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम भर प.ह.नं. 15/50रा0नि0मं0 महाराजपुर तहसील पना जिला जबलपुर में भूमि खसरा नं. 243/2 रव 0.600 हैक्टर स्थित है जोकि पैत्रिक भूमि है । उ भूमि काफी कम होने के कारण उक्त भूमि को वि भूमि ... मौजा संजारी प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. कु

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 876 -एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-3-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/अ-21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 01-2-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा ग्राम भरदा प.ह. नं. 15/50 रा0नि0मं0 महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर में भूमि खसरा नं. 243/2 रकबा 0.600 हैक्टर के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन अतिरिक्त तहसीलदार, पनागर को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि पैत्रिक भूमि है । अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है । कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक के आवेदन को इस	

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 876-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

आधार पर अस्वीकार किया गया है कि आवेदक की भूमि अधिक उपजाऊ है, साथ ही आवेदक उसी ग्राम का निवासी है । यह भी आधार लिया गया है कि भूमि एक तरह से निवेश की वस्तु है जिसकी कीमत भविष्य में तेजी से बढ़ेगी प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के नाम की प्रविष्टि संशोधित किए जाने का आदेश दिनांक 01-7-14 को हुआ है और इसके चार माह पश्चात ही आवेदक द्वारा भूमि विक्रय किए जाने का अनुबंध किया गया है ।कलेक्टर का भूमि की कीमत बढ़ने संबंधी निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित हो सकता है किंतु न्यायिक एवं विधिक दृष्टि से उनका निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि संहिता में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि भविष्य में भूमि की कीमत बढ़ने की संभावना हो तो उसके विक्रय की अनुमति नहीं दी जा सकती तथा नामांतरण होने के चार माह बाद भूमि विक्रय नहीं की जा सकती । प्रकरण में तहसीलदार, पनागर द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । विक्रय की जा रही भूमि शासकीय पट्टे की नहीं है बल्कि आवेदक की पैत्रिक भूमि है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को अनदेखा किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि 0.600 हैक्टर है जबकि उसके द्वारा 2.67 हैक्टर भूमि क्रय की जा रही है जोकि विक्रय की जा रही भूमि की चार गुना से अधिक है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया हैं, वे आधार न्यायसंगत एवं

XXXIX(a)BR(H)-11 -3-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 876-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

औचित्यपूर्ण नहीं है इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-2-16 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम भरदा प.ह.नं. 15/50 रा0नि0मं0 महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 243/2 रकबा 0.600 हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :-

1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है ।

(एम.के0 सिंह)